[2008] 10 एस.सी.आर. 664

अनीता देवी एवं अन्य

बनाम

सत्येंद्र नारायण सिंह एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 4291/2008)

10 जुलाई, 2008

[न्यायमूर्ति, डॉ.अरिजित पसायत और न्यायमूर्ति, पी. सतशिवम]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988- धारा .166-घातक दुर्घटना- मृतक के आश्रितों द्वारा मुआवजे का दावा- एम. ए. सी. टी. ने यह निष्कर्ष निकाला कि मृतक की आय के संबंध में कोई ठोस सामग्री नहीं थी और मृतक की वार्षिक अनुमानित आय Rs.15,000/- पर मानते हुए मुआवजा दिया गया । -उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई -दावेदारों की याचिका कि मृतक की आय स्थापित करने के लिए कई दस्तावेज दायर किए गए थे जिन पर एम. ए. सी. टी. या उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था -निर्धारित किया गया कि : एम. ए. सी. टी. के अभिलेखों से पता चलता है कि कुछ दस्तावेज दाखिल किए गए थे जो आय के पहलू पर प्रकाश डाल सकते हैं-मृतक की आय से संबंधित मामले पर विचार करने और पहले से ही अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए मामले में नए सिरे से मुआवजे का निर्धारण करने के निर्देश के साथ एम. ए. सी. टी. को प्रेषित किया गया ।

मुआवजे के संदर्भ में एक याचिका का धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत वाहन दुर्घटना मृतक के आश्रितों द्वारा दायर की गई ।एम. ए. सी. टी. ने एक निष्कर्ष निकाला कि मृतक की आय के संबंध में कोई ठोस सामग्री नहीं थी और दावेदारों को, मृतक की वार्षिक अनुमानित आय Rs.15,000 / पर लेकर मुआवजा दिया गया था । इस मुआवजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी।

इस न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता-दावेदार ने कहा कि मृतक की आय स्थापित करने के लिए कई दस्तावेज पेश किए गए थे और इस पहलू को न ही एम. ए. सी. टी. द्वारा और न ही उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान मे लिया गया ।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अवधारित किया कि -

1.1 अपीलार्थी के स्टैंड की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए ,कि मृतक की आय को स्थापित करने के लिए कई दस्तावेज दायर किए गए थे, एम. ए. सी. टी. के मूल अभिलेख को बुलाया गया। अभिलेख से प्रकट होता है, कि कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे । यह भी सच है, कि आयकर विवरणी या मूल्यांकन की कोई प्रतियाँ नहीं हैं । लेकिन अभिलेख पर स्थित दस्तावेज, निश्चित रूप से आय के पहलू प्रकाश डाल सकते हैं। [पैरा 6] [666 - जी - एच 667 - ए]

1.2. उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टित अधिनिर्णय को अपास्त किया जाता है ,और मामला मृतक की आय से संबंधित मामले पर विचार के लिए और अभिलेख पहले से ही संलग्न दस्तावेज को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एम. ए. सी. टी. को भेजा जाता है । [पैरा 7] [667 - ए & बी]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार - सिविल अपील सं. 4291/2008

झारखंड का उच्च न्यायालय खंडपीठ रांची के एम. ए. नं. 155/2003 मे पारित

अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 9.7.2004 से-

अपीलार्थियों के लिए देब प्रसाद मुखर्जी, अरविंद Kr.Lall और नंदिनी सेन।

उत्तरदाताओं के लिए ए. के. रैना और डॉ. कैलाश चंद।

न्यायालय का निर्णय **डॉ. अरिजीत पासायत**, जे. द्वारा पारित

1.अनुमति प्रदान कि गई

2. इस अपील में झारखंड उच्च न्यायालय रांची खंड पीठ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मिसलेनियस अपील धारा 173 (1) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') मे पारित आदेश को चुनोती दी गई थी ।

3. संक्षेप में, अपीलार्थियों का मामला इस प्रकार हैः प्रमोद कुमार (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) की एक वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें मारुति वैन जिसका रेजिस्ट्रैशन न. .ER-14P-4320 था ,संलिप्त थी । मारुति वैन प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उपेक्षा एवम लापरवाही पूर्वक चलाई जा रही थी । प्रारंभ मे प्रमोद कुमार को गंभीर क्षति कारित हुई थी । उसे पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बोकारो जनरल अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु दिनांक 18.04.2000 को हो गई थी । मृतक की उम्र 37 साल की थी । अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत मृतक के आश्रितों द्वारा याचिका दायर की गई थी । एम. ए. सी. टी. ने अभिलेख पर स्थित सामग्री पर विचारोपरांत , यह अवधारित किया कि याचिककर्ता 1,39,808/- रुपये प्रतिकर के अधिकारी है। चूंकि वह इन्श्योरेन्स के अधीन था, इसलिए ओरिएंटल इन्श्योरेन्स क. लिमिटेड (एतद्पश्चात इन्श्योरेन्स से संदर्भित किया जावेगा) को याचिककर्ताओ को प्रतिकर सहित आवेदन प्रस्तुति दिनांक से 9% वार्षिक दर से प्रतिकर राशि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया । यह पाया गया कि मृतक की आय के संबंध में कोई ठोस सामग्री नहीं है । परंतु फिर भी, यह माना गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए कुछ राशियों को काटने के बाद Rs.15,000 /पी.ए. की काल्पनिक आय ली जा सकती है। योगदान Rs.10,216 /- पी. ए. पर तय किया गया । 13 का गुणांक लागू किया गया और जीवन की हानि के लिए 5,000/- रुपये और अंतिम संस्कार के लिए 2,000/- रुपये की राशि दी गई । अपील ,दावेदारों द्वारा अधिनिर्णय की सत्यता पर सवाल उठाते हुए, यह रुख अपनाते हुए की गई कि निर्धारित मात्रा बहुत कम थी। उच्च न्यायालय ने अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अर्जित आय का कोई सबूत नहीं था।

4. अपील के समर्थन में, अपील के लिए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि मृतक कि आय को स्थापित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जिन पर न ही एम. ए. सी. टी. और न ही उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान दिया ।

5. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने व्यक्त किया कि, अपीलकर्ताओं ने आय के संबंध में कोई निश्चित सामग्री प्रस्तुत नहीं की और एम. ए. सी. टी. को काल्पनिक आय लेने में उचित ठहराया गया।

6. अपीलार्थियों के रुख की सत्यता का परीक्षण करने के लिए कि मृतक की आय स्थापित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, एम. ए. सी. टी. से मूल रिकॉर्ड को बुलाया गया , रिकॉर्ड से प्रतीत होता है, कि कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, यह सच है कि, आयकर रिटर्न और मूल्यांकन आदेश की कोई प्रतियां नहीं हैं। परंतु अभिलेख पर स्थित दस्तावेज निश्चित ही आय के पहलू पर बारीकी से प्रकाश डालेंगे ।

7. उपरोक्त स्थिति मे, हम अधिनिर्णय को अपास्त करते हैं । एम. ए. सी. टी. जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी,और मामले को मृतक की आय के संबंध मे विचार के लिए और अभिलेख पर पहले से ही स्थित दस्तावेज को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एम. ए. सी. टी. को भेजा जाता है ।

8. अपील उपरोक्त सीमा तक बिना व्यय के स्वीकार की जाती है।

अपील की स्वीकार की गई ।